

पत्रांक- 84

दिनांक- 15/03/22

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 06/2021-22 (ई-टेंडरिंग) (कोचस नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत)

1.	विज्ञापन दाता का नाम एवं पता	कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, रोहतास+कैमूर, सासाराम				
2.	निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि	15.03.2022				
3.	निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि/समय	दिनांक- 31.03.2022 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक 04.04.2022 को अपराह्न 03:00 बजे तक (on website https://eproc.bihar.gov.in)				
4.	प्री बिड मीटिंग का समय स्थान/तिथि	दिनांक- 31.03.2022 समय 11:00 बजे स्थान- कार्यपालक अभियंता का कार्यालय				
5.	संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि/समय	दिनांक- 04.04.2022 को 15:00 बजे तक। (on website https://eproc.bihar.gov.in)				
6.	तकनीकी बीड खोलने की तिथि/समय	दिनांक- 07.04.2022 को 15:30 बजे से (on https://eproc.bihar.gov.in)				
7.	वित्तीय बीड खोलने की तिथि/समय	तकनीकी बीड निष्पादन के पश्चात्				
8.	अग्रघन सभी मूल शपथ पत्र, Existing Commitment एवं परिमाण विपत्र के मूल्य बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अंतिम तिथि/समय एवं स्थान	दिनांक - 06.04.2022 को 15:00 बजे तक। स्थान-1. मुख्य अभियंता (आ0स0 एव प0) दक्षिण बिहार,उपभाग नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना। 2.अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एव आवास विभाग, अंचल-02 बिहार पटना। 3.कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, नगर विकास, प्रमंडल, रोहतास+कैमूर सासाराम। 4.कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यालय, नगर पंचायत कोचस, रोहतास।				
9.	गोजना एवं कार्य का विवरण :-					
क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु० में)	अग्रघन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य	बीड प्रोसेसिंग फीस	कार्य समाप्ति की अवधि (इन्कुलिडिंग मोनसून अवधि माह में)
1	नगर पंचायत कोचस अन्तर्गत नगर सरकार भवन निर्माण कार्य।	15844800.00	317000.00	eproc के अनुसार	As per E-proc	18 माह

10. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन
11. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों का ई-टेंडरिंग के Service Provider के पास पंजीकृत होना होगा जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) एवं अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हें (<https://eproc.bihar.gov.in>) से डाउनलोड करने/ई-टेंडर की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्यता प्रदान करेगा। इसके लिए हेल्थ डेस्क प्रथम तल्ल एम/22 बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग रोड नं०-25, श्री कृष्णा नगर, पटना-800020, दूरभाष संख्या-0612-2523006, मो० संख्या-7542028164 से सम्पर्क किया जा सकता है।
12. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाइट <https://eproc.bihar.gov.in> अथवा <https://eproc.bihar.gov.in> में देखा जा सकता है।
13. निविदा कागजात अपलोड करने से पूर्व संवेदक को "Bid Processing Fee" निम्न विधि से जमा करना होगा:-
- (i) "Bid Processing Fee" is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet payment gateway (Credit/debit Card), Net banking, NEFT/RTGS.
- (ii) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take

any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."

Wsc

14. दो करोड़ से उपर की राशि के निविदा SBD (Standard Bid Documents) के माध्यम से किया जायेगा।
15. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम में निबंधित हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के ही निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के बाद एवं एकरारनामा के पूर्व पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन का निर्माण कार्य होगा, तो भवन निर्माण कार्य का निबंधन भी मान्य होगा।
16. स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी-04 में निबंधित संवेदको के पास सभी कार्य विभागो द्वारा आवंटित कार्यों में से Existing commitment यदि 75 लाख रुपये से अधिक है तो वे संवेदक इस निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
17. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
18. (1) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यों से वंचित (Debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे। यदि वे जानबुझकर तथ्य छुपाते हुए निविदा डालते हैं तो सारी जिम्मेवारी उनकी होगी तथा उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।
(2) निविदा सूचना की अन्य शर्तों को पूरा करने के बावजूद कोई संवेदक की दी गयी निविदा बिल्कुल ही मान्य नहीं होगी यदि :-
(क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, चरित्र प्रमाण पत्र, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाले तथ्य समर्पित किया गया हो।
(ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का Record खराब रहा हो। अर्थात्, उन्होंने आवंटित कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो, निविदा के शर्तों के अनुसार सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो या उनके पास पूर्व से आवंटित कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी पूरा करने हेतु लंबित हो। तथ्यों को छुपाने की जबाबदेही उनकी होगी क्योंकि उनके द्वारा समर्पित कागजात पर ही कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
(3) पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पद या इन पदों पर कार्य करने वाले पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति/निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
19. कार्य के सामने स्तम्भ 06 में अंकित Bid Processing fee+ Service tax, का भुगतान संवेदक को Internet Payment Gateway (Credit /Debit) अथवा Internet Banking अथवा NEFT/RTCS CHALLAN के माध्यम से B.S.E.D.C के Bid Processing fee Account में Credit करना होगा।

(1) अग्रधन

- (क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2% की दर से अग्रधन की राशि देय होगी।
(ख) अग्रधन की राशि कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, रोहतास, सासाराम के पदनाम से भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्धारित प्रपत्र में निर्गत केवल बैंक गारंटी, आर0टी0जी0एस0 चालान के माध्यम से और E-proc के माध्यम से जमा किया जायेगा। जिसका Online और off online Verification किया जायेगा अग्रधन की राशि मूल रूप में, कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, नगर विकास प्रमंडल, रोहतास, सासाराम के कार्यालय में निविदा की अंतिम तिथि से पूर्व जमा करना अनिवार्य है।

- (ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
(2) निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जाने वाले कागजात स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए, जिसमें तिथि, नाम के साथ एवं मोबाइल नम्बर अंकित हो।

- (क) वैध निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।
(ख) साझेदार फार्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।
(ग) पैन कार्ड की प्रति।
(घ) GST निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।
(ड.) चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति।

- (3) संवेदक के अधीन लंबित (विभागों के अधीन निविदा की तिथि को Existing commitment कार्यों की राशि सहित सूची (मूल में)।

- (4) घोषणा प्रमाण पत्र (मूल में)/ शपथ पत्र (मूल में) (अपलोड)

"मैं अधोहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम).....

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि-

- (क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकार/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर विखंडित (Rescind) नहीं किया गया है।

(ग) मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं हैं।

(ड) 50 लाख से उपर राशि के लिए संवेदक के पास बैच मिक्स प्लांट, मिक्सर मशीन, नोजल भाईग्रेटर, सॉटरिंग प्लेट, टैंकर, गुण नियंत्रण उपकरण तथा भवन निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु उपरोक्त के साथ-साथ एलीभेटर एवं स्टेजिंग पाईप का भी होना आवश्यक है जो स्वयं का होना चाहिए अथवा किराये पर लेने की स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनों को लेने-देने का शपथ पत्र मूल में एवं स्वामित्व प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही उपकरण का स्वामित्व का कागजात भी संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दिया जाएगा। उक्त यंत्र संयंत्र का भौतिक सत्यापन कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, रोहतास, सासाराम के द्वारा किया जाएगा। इसका प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, रोहतास, सासाराम के द्वारा तकनीकी बीड के साथ समर्पित किया जाएगा। भौतिक सत्यापन निविदा के अनुसार नहीं होगा तो उनकी निविदा अमान्य कर दी जाएगी।

उपर्युक्त कंडिका 'क' 'ख' 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा, कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अग्रधन की राशि जब्त कर लिया जायेगा तथा उनके उपर विधि सम्मत दण्ड संवेदक के निबंधन को काली सूची में दर्ज करने प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे। चूंकि संवेदकों का निबंधन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नहीं हो रहा है, संवेदकों को बिहार PWD CODE के बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के तहत काली सूची, डिबार (Debar) तथा निलम्बन इत्यादि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा करने का होगा, यदि यह शर्तें संवेदकों को मान्य होगा, तभी वे निविदा डालें।

(च) यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात Website (<https://eproc.bihar.gov.in>) पर अपलोड करना होगा। जिसका मिलन एवं Verification कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

(5) प्रतिशत दर निविदा

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाय। अंक एवं शब्दों में अंकित दर में अंतर आने पर उस संवेदक का निविदा अमान्य कर दिया जा सकता है।

20. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

21. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्हीं अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

22. निविदा निष्पादन

(1) यदि निविदा की कंडिका संख्या 20 एवं अन्य सभी के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

(2) सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।

(3) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो दर प्रक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

23. एकरारनामा

(क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के नियमाकूल एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।

(ख) एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

(ग) अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट उसकी आकार-प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निर्देशों का पालन करना होगा।



उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त परिमाण विपत्र (BOQ) की राशि 50 लाख से अधिक होने की स्थिति में निविदादाताओं को निम्नांकित शर्तों का अनुपालन करना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जायेगी :-

24. सफल संवेदक/एजेन्सी द्वारा भवन का संरचना बिहार भवन उप विधि 2014 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत निर्मित किया जायेगा।
25. 50 लाख से अधिक की राशि का परिमाण विपत्र होने पर निविदादाताओं को एक वित्तीय बीड तथा एक तकनीकी बीड निविदा के साथ Upload करना होगा। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का ही वित्तीय बीड खोला जाएगा। तकनीकी बीड में जो निविदाकार असफल होंगे उनका वित्तीय बीड नहीं खोला जाएगा।
26. 50 लाख के अधिक के निविदा में संवेदक द्वारा विगत तीन वर्षों में किसी एक वर्ष निविदा मूल्य के समतुल्य भुगतान प्रमाण पत्र होना चाहिए अथवा निविदा मूल्य के एक तिहाई मूल्य के बराबर समरूप कार्य का भुगतान प्रमाण-पत्र देना होगा जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। जिसमें IT, ST, Royalty, Net Payment, Gross Payment होगा।
27. 50 लाख से अधिक मूल्य के निविदा में संवेदक को गुण नियंत्रण जाँच हेतु स्थलीय गुण नियंत्रण उपकरणों का स्वामित्व होना चाहिए अथवा किराये पर प्राप्त करने की स्थिति में किराये पर देने वाले एवं लेने वाले का कार्यपालक दण्डाधिकारी के कार्यालय से निर्गत शपथ पत्र मूल में संलग्न करना होगा। साथ ही गुण नियंत्रण/यंत्र-संयंत्र का स्वामित्व संबंधी कागजात भी संलग्न करना होगा। गुण नियंत्रण उपकरण का भौतिक सत्यापन कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, रोहतास, सासाराम के द्वारा किया जाएगा। तथा इसका प्रतिवेदन तकनीकी बीड के साथ समर्पित करना होगा।
28. 50 लाख के अधिक के मूल्य के निविदा में संवेदक के पास कम-से-कम एक डिप्लोमा (सिविल) एवं एक डिग्री (सिविल) अभियन्ता होना चाहिए। तत्सम्बंधी उनका शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। शपथ-पत्र मूल में नियोजित एवं नियोजनकर्ता दोनों पक्षों का होना चाहिए। एक डिग्री-डिप्लोमा अभियंता भिन्न-भिन्न निविदाकार के यहाँ नियोजित माना जायेगा। यदि एक ही डिग्री-डिप्लोमा अभियंता भिन्न-भिन्न निविदाकार के यहाँ नियोजन के शपथ-पत्र देंगे तो उनकी निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।
29. **अन्य शर्तें**
 - (क) निविदा के निर्धारित अवधि के अंतर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
 - (ख) कार्यों में प्रयुक्त होने वाले 60/70, 30/40, 80/100 Grade Packed बिटुमिन अथवा सामग्री जो लागू हो के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वयं अपनी लागत पर करनी होगी। जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। बिटुमिन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों से ही करना होगा तथा बिटुमिन क्रय के 48 घंटों के अंदर कैशमेमों संबंधित सहायक अभियंता के समकक्ष प्रस्तुत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा। साथ ही साथ 24 घंटों के अन्दर बिटुमिन की क्वालिटी का जाँच कराना होगा। BM, SDBC कार्य के लिए Hot Mix Plant, Vibratory Roller, Static Roller, Paver Finisher, Fe loader, Tipper आदि आवश्यक है।
 - (ग) प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है।
 - (घ) निधि उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा। संवेदक का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
 - (ङ) यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त भी एकरारनामा का अंग होगा।
30. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदकों को उनके कार्य में त्रुटि सुधार की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 36 माह (तीन वर्ष) होगी तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि विमुक्त की जायेगी।
31. E-Tendering में कार्यालय द्वारा download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।
32. तकनीकी बीड में निविदा का उतना ही कागजात संलग्न करें जितना निविदा शर्तों की कंडिकाओं में अंकित है। निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं को पूरी तरह समझने के लिए कार्यालय अवधि में निविदाकार कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, रोहतास, सासाराम से संपर्क कर सकते हैं।
33. In the unlikely event of the server for <https://eproc.bihar.gov.in> being down for more than two consecutive hours (in the period from midnight to closing time for receipt of tenders) on the last date of receiving of bid, the last date of the same shall be extended by concerned authority only to the next working day till the last receiving time stipulated in the original NIT.
34. The bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission & they should ensure that work file is uploaded. If they feel that the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The bidders should satisfy themselves of download ability/ visibility of the scanned & uploaded file by them.



35. The bidders must use MS Office- 2003 version. File size should be less than 5MB and should be in M.S. word, M.S. Excel, PDF and JPEG Formats.
36. No claim shall be entertained on account of disruption of internet service being used by bidders. Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last hour's technical snags.
37. In exceptional circumstances, the competent authority, UD & HD may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity.
38. Bids that are rejected during the bid opening process shall not be considered for further evaluation, irrespective of the circumstances.
39. The bidders shall submit their eligibility and qualification details, Technical bid, Financial bid etc., in the online standard formats given for respective tenders in e-Procurement website (www.eproc.bihar.gov.in) at the respective stage only. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc., in support of their eligibility criteria / technical bids and other certificate /documents in the e-Procurement website. The bidder shall sign on the supporting statements, documents, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness /authenticity.
40. Corrigendum/ Addendum, if any, will be published on the website itself.

LHP
= 15/03/2022

कार्यपालक अभियंता
नगर विकास प्रमंडल
रोहतास+ कैमूर सासाराम।